

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 42/2023

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

इन्दूबाला, मैनेजर बालोतरा  
को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी  
लि. बालोतरा, तहसील पंचपदरा,  
जिला बालोतरा।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदडी  
पंचायत समिति समदडी, जिला  
बालोतरा
2. जाहिद पुत्र असफाक मोहम्मद  
जाति मुसलमान, निवासी  
निहारियों की वास, समदडी,  
जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018 जो  
अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदडी द्वारा जारी किया  
गया।

उपस्थिति :-

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल श्रीमाली, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.03.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदडी द्वारा जारी  
पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018 के विरुद्ध दिनांक 22.10.2021  
न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय  
में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि  
अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में  
राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम समदडी  
में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018  
जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न  
अनुसूची में वर्णित अनुसार 12100 वर्ग फीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को  
जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना  
नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं  
अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना  
पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनरथ न्यायालय ग्राम पंचायत समदडी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीनी बालोतरा को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा, तहसील पचपदरा की मैनेजर है। उक्त सोसायटी की भूमि मौजा समदडी में खसरा संख्या 1169/248 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गैर मुमकिन गोदाम की आयी हुई है। जिसके पडौस व नाप पूर्वी-पश्चिमी भूजा 110 फीट, उत्तरी-दक्षिणी भूजा 110 फीट कुल क्षेत्रफल 12100 वर्गफीट, पडौस बदिशा उत्तर में रास्ता व आगे पेट्रोल पंप, बदिशा दक्षिण में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास, बदिशा पूर्व में-सार्वजनिक गली, बदिशा पश्चिम में मैन स्टेशन रोड डामर सडक है। उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थीनी का लगातार कब्जा, स्वामित्व चला आ रहा है। उक्त परिसर के कुछ भाग पर सोसायटी का गोदाम बना हुआ है एवं शेष भूमि खाली है। जिस पर सोसायटी का निर्बाध रूप से कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। सोसायटी को श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ-12(3) (15) राज/77-81/2086 दिनांक 01.03.1990 के खसरा संख्या 248/556 में 110×110 वर्गफीट भूमि सोसायटी के गोदाम हेतु 99 वर्ष की लीज पर कय, विकय सहकारी समिति समदडी को आवंटित की गई। उक्त भूमि की कीमत बाबत सोसायटी द्वारा कुल रूपये 3,37,250/- जरिये चालान नंबर 135 दिनांक 28.05.2007 को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक एफ-12(3) (15) राज/77-81/9551 दिनांक 11.11.2009 के जरिये उक्त सोसायटी कय-विकय सहकारी समिति समदडी के स्थान पर बालोतरा को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा का नाम परिवर्तन किया गया। जिसकी स्वीकृति हेतु पत्र क्रमांक प 12(3)(15)राज./77-81/1122 दिनांक 17.02.2009 को शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात नामांतरण संख्या 1477 दिनांक 05.04.2010 के द्वारा 14 विस्वा भूमि गैर मुमकिन बीज गोदाम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जो आज भी दर्ज है। कॉ-आपरेटिव सोसायटी के नाम भूमि जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित की गई थी एवं जिसका नामान्तरकरण रिकॉर्ड में सोसायटी के नाम गैर मुमकिन गोदाम के रूप में दर्ज है। जिसका तथ्य जमाबंदी खतौनी ग्राम समदडी के खाता नंबर 728 में दर्ज प्रविष्टि से ही स्पष्ट है। ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई खुली भूमि उपलब्ध नहीं थी, जिसका पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया जा सकें। जो आलोच्य पटटा जारी किया गया है वो भूमि मौके



  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा

- पर निगरानीकर्ता सोसायटी को आवंटितसुदा मालिकाना की है, इसलिये आलोच्य पट्टा निरस्त करने योग्य है।
5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 2 ने विप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थी के उपरोक्त नाप, पडौस के परिसर में से कुछ भाग व सोसायटी के परिसर के उत्तर दिशा में स्थित सार्वजनिक गली की भूमि का पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018 को जारी करवा दिया, जो नियमों व वारतविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए जारी किया है। विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो आलोच्य पट्टा दिनांक 17.05.2018 को जारी किया गया, उसे जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से जारी किया गया है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त अनुसार 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा है या पंचायती आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया हो। जबकि विप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा स्थल पर कोई कब्जा न तो कभी रहा और न है, और न ही विप्रार्थी संख्या 2 के अस्थायी या कच्चे मकान बने हुए है। आलोच्य पट्टे में वर्णित स्थल विप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा एवं स्वामित्व का न होकर कुछ भाग प्रार्थी सोसायटी के कब्जे स्वामित्व का है तथा कुछ भाग सार्वजनिक गली की भूमि का है। इस प्रकार उक्त पट्टा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।
6. विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि जिस स्थान पर विप्रार्थी संख्या 2 के नाम विप्रार्थी संख्या 1 ने पट्टा जारी किया है, वहां मौके पर उसका कब्जा है। जिसके आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया है। वहां पर गोदाम एवं चारदिवारी गलत जगह बनायी गई है। जो भूमि निगरानीकर्ता सोसायटी को आवंटित हुई है, वो भूमि समाज कल्याण विभाग में चली गयी है। इस कारण निगरानीकर्तागण का कोई कब्जा नहीं है और निगरानीकर्ता ने गलत पैमाइस के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है।
7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी में दर्ज प्रविष्टि अनुसार खसरा संख्या 1169/248 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन गोदाम जो बालोतरा कॉ-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा 99 वर्षीय



  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा

लीज दिनांक 01.03.1994 से हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये अंकन है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में दर्ज पड़ौस की इबारत में भी ऑवर राईटिंग की हुई है, जिस पर किसी के प्रति हस्ताक्षर भी नहीं है। अलावा इसके आलोच्य पट्टा विप्रार्थी संख्या 2 के नाम पर जारी किया जाना बताया है, जिस पर 50 वर्ष से विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना बताया है, जबकि विप्रार्थी संख्या 2 की आयु ही वर्ष 2019 में 29 वर्ष बतायी गई है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत कब्जे अवधी स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्ण्य कार्यवाही द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018 को जारी किया है, अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकर कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत समदडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जाहिद पुत्र असफाक मोहम्मद के नाम जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.05.2018 मिसल क्रमांक 241/2017-18 जिसे संकल्प संख्या 2/20.04.2018 की अनुपालना में जारी किया गया को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।
9. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार यादव)  
जिला कलक्टर, बालोतरा